

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मनोज कुमार यादव एवं एक अन्य

बनाम

सुधीर कुमार यादव एवं अन्य

2018 की प्रथम अपील सं.134

08 सितंबर 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या वसीयत के प्रोबेट के अनुदान के विरुद्ध लंबित अपील में, न्यायालय को अपील के लंबित रहने के दौरान उक्त वसीयत के तहत वसीयत की गई संपत्तियों को लाभार्थी द्वारा हस्तांतरित किए जाने से बचाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार है। [कंडिका 2, 4, 8]

हेडनोट्स

प्रोबेट क्षेत्राधिकार - वसीयत की गई संपत्ति का अंतरिम संरक्षण - एक प्रोबेट न्यायालय, जिसमें प्रोबेट डिक्री के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने वाला अपीलीय न्यायालय भी शामिल है, वसीयतनामा निपटान के विषय-वस्तु के संरक्षण हेतु अंतरिम आदेश पारित करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र रखता है। यह शक्ति संपत्ति के हस्तांतरण को रोकने के लिए आवश्यक है, जो अपील के अंतिम परिणाम को निष्फल बना सकता है। विवादित संपत्ति की मौजूदा स्थिति में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के आसन्न खतरे को रोकने के लिए न्यायालय शक्तिहीन नहीं है। [कंडिका 3, 8, 9]

प्रोबेट बनाम स्वामित्व - प्रोबेट का अनुदान केवल वसीयत की प्रामाणिकता और वैधता के बारे में ही निर्णायक होता है और संपत्ति पर स्वामित्व प्रदान नहीं करता। स्वामित्व स्वतंत्र रूप से स्थापित होना चाहिए। हालाँकि, यह सिद्धांत न्यायालय को संबंधित संपत्ति को तब तक संरक्षित रखने के लिए अंतरिम

उपाय करने से नहीं रोकता जब तक कि उस दस्तावेज़ (वसीयत) की वैधता, जिसके द्वारा इसे हस्तांतरित करने का दावा किया जाता है, पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। [कंडिका 5, 8]

यथास्थिति आदेश - विवादित प्रोबेट कार्यवाही - किसी विवादित प्रोबेट मामले में, जहाँ वसीयत की वैधता को चुनौती दी जा रही हो, न्यायालय द्वारा पक्षकारों को वसीयत की गई संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देना न्यायसंगत और उचित है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मृतक वसीयतकर्ता की संपत्ति नष्ट, बर्बाद या बर्बाद न हो, जिससे सभी दावेदार पक्षों के अधिकारों की रक्षा होती है। [कंडिका 3, 8, 9]

न्याय दृष्टान्त

अमरेंद्र ध्वज सिंह एवं अन्य बनाम प्रेम कुमार सिंह, **2013(1) पीएलजेआर 853**; दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम विजया सी. गुरशैनी (श्रीमती) और अन्य, **(2003) 7 एससीसी 301**; विकास सिंह एवं अन्य बनाम देवेश प्रताप सिंह, **2001 (2) पीएलजेआर 184**; रजनीबाई (श्रीमती) उर्फ मन्नूबाई बनाम कमला देवी (श्रीमती) और अन्य, **(1996) 2 एससीसी 225**

अधिनियमों की सूची

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

मुख्य शब्दों की सूची

प्रोबेट क्षेत्राधिकार, अंतरिम निषेधाज्ञा, यथास्थिति, संपत्ति का हस्तांतरण, वसीयत की गई संपत्ति, वसीयतनामा निपटान, प्रोबेट का अनुदान, शीर्षक बनाम प्रोबेट, संपत्ति का संरक्षण, अंतर्निहित शक्तियां (धारा 151 सीपीसी)

प्रकरण से उत्पन्न

प्रथम अपील संख्या 134/2018 में दायर किया गया इंटरलोक्यूटरी आवेदन (अं. आ. संख्या 1/2022), जो स्वयं एक प्रोबेट मामले (स्वत्व वाद संख्या 01/2014 में परिवर्तित) में निर्णय और डिक्री से उत्पन्न होता है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सतीश कुमार, विद्वान अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री शशि शेखर द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री अमर नाथ झा, विद्वान अधिवक्ता

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया:- सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2017 की विविध अपील सं.259
में
2018 की प्रथम अपील सं.134

=====

मनोज कुमार यादव और एक अन्य

... ..अपीलार्थी/ओं

बनाम

सुधीर कुमार यादव और अन्य

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री सतीश कुमार, विद्वान अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री शशि शेखर द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री अमर नाथ झा, विद्वान अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

10 08-09-2025

2022 का अं. आ. सं. 1

अपीलार्थीओं द्वारा तत्काल अन्तरवर्ती आवेदन इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि जिस संपत्ति के संबंध में वसीयत निष्पादित की गई थी, उसे संरक्षित किया जाए तथा उत्तरदाताओं को अपीलार्थियों को बेदखल करने से रोका जाए।

2. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार दलील देते हैं कि अपीलार्थी और उत्तरदाता सं. 1 सगे भाई हैं और उनकी माँ स्वर्गीय सुभद्रा देवी ने उत्तरदाता संख्या 1 के पक्ष में 31.8.2012 दिनांकित एक वसीयत को निष्पादित किया, जिसने प्रोबेट मामला संख्या 09/2013 दायर किया था, जिसे बाद में अपीलार्थियों द्वारा चुनौती दिए जाने पर स्वत्व वाद सं.

01/2014 में परिवर्तित कर दिया गया था। अपीलार्थी विचारण न्यायालय में इस आपत्ति के साथ पेश हुए कि कथित वसीयत जाली और मनगढ़ंत थी और वसीयत में दिखाई गई अधिकांश संपत्तियां वसीयतनामा से संबंधित नहीं थीं। वास्तव में, भूमि के एक हिस्से को लेकर दोनों पक्षों के बीच विभाजन वाद संख्या 146/1972 में समझौता हो गया था। वसीयत में वसीयतकर्ता के पास 1 एकड़ 70 डेसिमल जमीन शामिल थी, जो 1972 के स्वत्व वाद सं. 146 में पारित समझौता डिक्री के तहत शामिल की गई थी, जिसे अपीलार्थीओं के पिता को आवंटित किया गया था। उत्तरदाता सं. 1 प्रोबेट प्राप्त करने में सफल रहा और उसी का लाभ उठाते हुए वसीयत के तहत आने वाली संपत्ति की बिक्री के लिए भू-माफिया और असमाजिक तत्वों के साथ बातचीत शुरू कर दी। इस अपील के लंबित रहने के दौरान, उत्तरदाता संख्या 1 ने नगर परिषद क्षेत्र थाना अंचल और जिला मधेपुरा के मौजा-मदनपुर (वार्ड संख्या 14) में स्थित पुराने खाता संख्या 88 के, नए खाता संख्या 86, पुराने प्लॉट संख्या 571, नए प्लॉट संख्या 351 और 349 में से 11 धुर वासभूमि को अखिलेश राय के पक्ष में दिनांक 8.11.2024 को पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्तरदाता संख्या 1 सक्रिय रूप से संबंधित वसीयत के तहत शामिल की गई संपत्तियों का निपटान कर रहा है।

3. अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता आगे दलील देते हैं कि हालांकि तत्काल मामला प्रोबेट से संबंधित है, लेकिन उन सभी संपत्तियों की रक्षा की जानी चाहिए जिनके बारे में विचाराधीन वसीयत को निष्पादित किया गया था जब विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य स्पष्ट रूप से उनके संभावित अलगाव का संकेत देते हैं। इस दलील के समर्थन में, विद्वान वकील ने 2013(1) पीएलजेआर 853 में प्रतिवेदित अमरेन्द्र ध्वज सिंह एवं एक अन्य बनाम प्रेम कुमार सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा रखा है, उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक

कंडिका संख्या 18 और 19, जिन पर भरोसा रखा गया है, को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"18. कानून की उपरोक्त घोषणाओं से, यह स्पष्ट है कि एक प्रोबेट न्यायालय के पास वसीयती स्वभाव के विषय वस्तु की सुरक्षा के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है और यह विचाराधीन वसीयत के तहत संपत्ति की मौजूदा स्थिति में भौतिक परिवर्तन के आसन्न खतरे के प्रति अनुत्तरदायी नहीं हो सकता है।

19. इन पूर्वनिर्धारित कारणों से, मृतक वसीयतकर्ता की संपत्ति को नष्ट, क्षय या विनष्ट होने से बचाने के लिए, यह उचित और उपयुक्त प्रतीत होता है कि अपीलार्थी पी13/13 और उत्तरदाताओं दोनों को इस अपील के लंबित रहने के दौरान मृतक वसीयतकर्ता स्वर्गीय बिशुन प्रकाश नारायण सिंह की संपत्ति के संबंध में आज की स्थिति को बनाए रखने का निर्देश दिया जाए। तदनुसार यह आदेश दिया जाता है। इस प्रकार अंतर्वर्ती आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है।"

4. दूसरी ओर, श्री शशि शेखर द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उत्तरदाता सं. 1 की ओर से अपीलार्थीओं की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि इस अपील में, केवल प्रश्नगत वसीयत की वास्तविकता और आक्षेपित निर्णय की शुद्धता पर विचार किया जा रहा है और वसीयत से संबंधित भूमि के स्वामित्व और कब्जे के मुद्दों पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता है और स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थीओं ने पहले ही 2017 के स्वत्व वाद सं. 25 में एक निषेधाज्ञा याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था और उसके बाद कोई विविध अपील प्रस्तुत नहीं की गई। इस आवेदन के माध्यम से वे (अपीलार्थी) चाहते हैं कि इस अपील में अधिकार के विवादित प्रश्न के साथ-साथ वसीयत से

संबंधित संपत्तियों के स्वामित्व का फैसला इस न्यायालय से किया जाए, जो पूरी तरह से इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

5. उपरोक्त तर्कों के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2003) 7 एससीसी 301 में प्रतिवेदित दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम विजया सी. गुरशैनी (श्रीमती) एवं एक अन्य मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया है, उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक कंडिका संख्या 8 इस प्रकार है:-

“8. इस मामले में कथित वसीयत को 26-10-1977 को निष्पादित किया गया था। राम धन की मृत्यु 18-9-1978 को हुई। 7-5-1980 को प्रशासन पत्र दिए गए थे। मान लीजिए, उत्तरदाता मृतक राम धन से संबंधित नहीं है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि केवल प्रशासन पत्र दिए जाने के कारण अपीलार्थी लेन-देन की वास्तविक प्रकृति की जांच नहीं कर सकते हैं। यह तय कानून है कि एक वसीयतनामा न्यायालय, प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों को प्रदान करते समय, विशेष रूप से निर्विरोध मामलों में, एक वसीयतनामा दस्तावेज के निष्पादन के पीछे के उद्देश्य पर भी विचार नहीं करती है। एक वसीयतनामा न्यायालय केवल यह पता लगाने से संबंधित है कि वसीयतकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा के वसीयतनामा उपकरण को निष्पादित किया या नहीं। यह तय कानून है कि प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों का अनुदान संपत्ति को अधिकार प्रदान नहीं करता है। वे केवल मृतक की संपत्ति के प्रशासन को सक्षम करते हैं। इस प्रकार, प्रोबेट या प्रशासन के पत्र दिए जाने के बावजूद किसी व्यक्ति के लिए स्वामित्व पर विवाद करना हमेशा खुला रहता है।”

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 2001 (2) पीएलजेआर 184 में प्रतिवेदित विकास सिंह एवं अन्य बनाम देवेश प्रताप सिंह के मामले में पारित इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा

जताया है, उक्त निर्णय के कंडिका संख्या 6 और 7, जिस पर भरोसा रखा गया है, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

"6. क्या कोई व्यक्ति किसी शारीरिक और/या मानसिक अक्षमता के कारण वसीयत को निष्पादित करने में असमर्थ था, यह निश्चित रूप से एक प्रासंगिक बिंदु है और वास्तव में, सबसे प्रासंगिक बिंदु जो प्रोबेट /प्रशासन कार्यवाही के पत्रों में तय किया जाना है और इस मामले में भी, मैं इस पहलू पर बाद में इस निर्णय में चर्चा करूंगा। जहां तक "उसकी संपत्ति" शब्दों के उपयोग का संबंध है, यह स्पष्ट है और, यदि मैं ऐसा कह सकता हूं, तो यह निहित है कि कोई व्यक्ति किसी भी हस्तांतरण-विलेख की तरह वसीयत को निष्पादित कर सकता है, केवल अपनी संपत्ति के संबंध में और किसी और की संपत्ति के संबंध में नहीं और इसलिए, [धारा 59](#) में उन शब्दों का उपयोग अधिक नहीं होता है जो वसीयतकर्ता/वसीयतनामा के स्वामित्व, स्वामित्व आदि से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय करने के लिए प्रोबेट न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करते हैं। यह तय कानूनी स्थिति है कि प्रोबेट न्यायालय का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उस संपत्ति के लिए वसीयतकर्ता के अधिकार के बारे में किसी भी मुद्दे पर विचार करे जिसके साथ वसीयत का प्रस्ताव किया गया है या वसीयतकर्ता को ऐसी संपत्ति पर निपटान करने की शक्ति या वसीयत की वैधता के बारे में विचार करे। उदाहरण के लिए, काशी नाथ बनाम दुल्हिन ए. आई. आर. 1941 पटना 475 का मामला देखें। प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के अनुदान के लिए कार्यवाही वास्तविक अर्थों में वाद नहीं है, यह केवल [दीवानी प्रक्रिया संहिता](#) के प्रावधानों के अनुसार एक नियमित मुकदमे का "रूप"लेता है, जितनी जल्दी हो सके, अधिनियम की [धारा 295](#) के अनुसार। [सिद्धनाथ भारती बनाम जय नारायण भारती](#) 1994 (1) पी. एल. जे. आर. 644 में इस न्यायालय के खंड पीठ के फैसले, [पेंजी फेरॉडिस बनाम एम. एफ. क्वेरोस](#) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले और [बटाई](#)

लाल बनर्जी बनाम देबाकी कुमार गांगुली में कलकत्ता उच्च न्यायालय के खंड पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। प्रोबेट या प्रशासन पत्रों का अनुदान केवल प्रस्तावित वसीयत का निर्णायक होता है न कि संपत्ति के लिए वसीयतकर्ता के स्वामित्व आदि का। चूंकि स्वामित्व, स्वामित्व आदि से संबंधित मुद्दों को ऐसी कार्यवाहियों में नहीं लिया जाना है, इसलिए यह इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता/वादी के पक्ष में प्रोबेट या उसके पक्ष में प्रशासन के पत्र देने के पक्ष में भी भविष्य के किसी भी मुकदमे में पूर्वन्याय के रूप में कार्य नहीं करता है जिसे उद्देश्यकर्ता संपत्ति में अपने अधिकार, स्वामित्व, हित आदि की घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है। उपर्युक्त आधार पर आपत्तिकर्ता की निपटान क्षमता, अर्थात् वसीयतकर्ता के स्वामित्व के संबंध में आपत्ति को अस्वीकार किया जाता है।

7. यह आपत्ति कि आक्षेपित स्वभाव वाला दस्तावेज एक वसीयत नहीं है, बल्कि भविष्य में याचिकाकर्ताओं को संपत्ति देने की वसीयतदार की केवल एक इच्छा या कामना है, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं, तो ऐसा लगता है कि आपत्ति के लिए लिया गया है। निपटान की विषय-वस्तु का केवल अवलोकन, जिसकी मूल प्रति अभिलेख में प्रदर्श 1 के रूप में उपलब्ध है और छाया प्रति याचिका के अनुलग्नक-1 में है, इस बात की पुष्टि नहीं करता। निपटान को स्पष्ट शब्दों में "वसीयतनामा" शीर्षक दिया गया है, और उसके विवरण भी इस संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते कि वसीयतकर्ता का इरादा अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति याचिकाकर्ताओं को वसीयत के रूप में देने का था। अंग्रेजी में (मेरे द्वारा) अनुवादित, विवरण इस प्रकार हैं:

वसीयत दिनांक- 28.08.1986, यह इच्छा हो सकती है कि मैं अपना घर जो कमला निवास के नाम से जाना जाता है और जो बोरिंग कैनाल रोड, पटना में स्थित है, और घर कमला निवास के साथ जमीन और पूरा परिसर अपने पोते विकास सिंह और विवेक सिंह को दे दूं, जो मेरे

जीवन के बाद मेरे बड़े बेटे सुरेश प्रताप सिंह के बेटे हैं,
और उक्त पोते का अधिकार होगा। वे इसके पूर्ण मालिक
बन जाएंगे और मेरी मृत्यु के बाद वे सरकारी कार्यालयों
और नगर पालिका में अपने नाम से घर और जमीन दर्ज
कराएंगे और उसे अपने कब्जे में रखेंगे। यह समझा जाए
कि वे संपत्ति नहीं बेचेंगे।"

7. दोनों पक्षों को सुना गया तथा आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया गया।

8. वर्तमान मामला 31.08.2012 की एक वसीयत से संबंधित है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे स्वर्गीय सुभद्रा देवी ने उत्तरदाता संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया था, जो अपीलार्थीओं और उत्तरदाता संख्या 1 की मां थीं, जिन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रोबेट वाद का विरोध किया था और इस अपील का भी विरोध कर रही हैं। आम तौर पर वसीयतकर्ता/वसीयती का वसीयत निष्पादन का एक उद्देश्य वसीयतकर्ता/वसीयती की संपत्ति का वितरण और उसकी मृत्यु के बाद उसका प्रबंधन है। यद्यपि, प्रोबेट मामले में वसीयत की वैधता और वास्तविकता का निर्णय किया जाता है, तथापि, विवादित प्रोबेट मामले में विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय अंतरिम उपाय कर सकता है, जैसे कि वसीयतकर्ता/वसीयती की वसीयत की गई संपत्ति की सुरक्षा के लिए निषेधाज्ञा का आदेश, जिसके संबंध में वसीयत निष्पादित की गई है, क्योंकि किसी को अलगाव से बचाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे तीसरे पक्ष के हित उत्पन्न होने या वसीयत की गई संपत्ति के अस्तित्व में परिवर्तन से बचा जा सकता है। यदि प्रोबेट कार्यवाही (वाद या अपील) के लंबित रहने के दौरान एक पक्ष को वसीयतकर्ता की संपत्ति का निपटान करने की अनुमति दी जाती है, जिसके बारे में वसीयतकर्ता/वसीयती ने अपनी वसीयत को निष्पादित किया है, तो वसीयत की वैधता के बारे में न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद संपत्ति का ऐसा हस्तांतरण/निपटान वसीयत के उद्देश्य

को विफल कर सकता है। मेरी राय में, एक विवादित प्रोबेट मामले में वसीयतकर्ता/वसीयती की संपत्ति को अलग-थलग किए जाने या इस तरह से निपटाए जाने से बचाने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जा सकता है जिससे वसीयत की प्रामाणिकता तय करने से पहले वसीयत के किसी भी पक्ष को अपरिवर्तनीय नुकसान हो। यदि किसी वसीयत को वैध घोषित किया जाता है तो वसीयतकर्ता/वसीयती की संपत्ति वसीयत के अनुसार वितरित/प्रबंधित किया जाता है लेकिन यदि विचाराधीन वसीयत को वैध घोषित नहीं किया जाता है तो वसीयत में उल्लिखित संपत्तियों को प्रचलित उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार वितरित या प्रबंधित किया जाएगा। तत्काल मामले में, अपीलार्थी और उत्तरदाताओं संख्या 1 सगे भाई हैं और अपीलार्थी ने तत्काल आवेदन में याचिका दायर की है कि वसीयत में दिखाई गई अधिकांश संपत्तियां वसीयतनामा से संबंधित नहीं थीं और पक्षों के बीच एक विभाजन मुकदमा चला था जो समझौते के आधार पर तय किया गया था, लेकिन वसीयतनामा में उसकी वसीयत में समझौता डिक्री के तहत एक एकड़ और 17 डिसमिल भूमि शामिल थी, जबकि उक्त भूमि समझौता डिक्री के अनुसार अपीलार्थी के पिता को आवंटित की गई थी। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उत्तरदाता संख्या 1 ने इस अपील के लंबित रहने के दौरान एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा वसीयतनामा की संपत्ति का एक हिस्सा हस्तांतरित किया है जिसे उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित फैसले द्वारा घोषित वसीयतकर्ता की वसीयत की वैधता को अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि आक्षेपित फैसले से उत्पन्न अपील अभी भी लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (1996) 2 एससीसी 225 में प्रतिवेदित रजनीबाई (श्रीमती) उर्फ मन्नूबाई बनाम कमला देवी (श्रीमती) और अन्य के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

“ केवल इसलिए कि संपत्ति के भौतिक अधिकार के संबंध में कोई विवाद नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि वह आदेश 39, नियम 1 और

2 दी.प्र.सं. के तहत उपचार का लाभ उठाने का हकदार नहीं है। अन्यथा भी, यह कानून ने तय किया कि दी.प्र.सं. की धारा 151 के तहत, न्यायालय को मुकदमे के लंबित रहने तक पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने की अंतर्निहित शक्ति मिली है।"

9. तदनुसार, उपर्युक्त कारणों से, मेरा विचार है कि अपीलार्थी उस राहत के हकदार हैं जिसकी उन्होंने प्रार्थना की है। अतः, उत्तरदाता संख्या 1 को निर्देश दिया जाता है कि वह इस अपील के लंबित रहने के दौरान मृतक वसीयतकर्ता की वसीयत की गई संपत्तियों के संबंध में आज की स्थिति को बनाए रखे और विचाराधीन वसीयत में वर्णित मृतक की शेष वसीयत की गई संपत्तियों को इस अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा हस्तांतरित या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

10. 2022 की अं.आ.संख्या 1 का निपटारा कर दिया गया है।

11. इस अपील को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

सिद्धार्थ कु/बीकेएस

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।